[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 32/2017-एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि......................(अ).- केन्द्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर किसी पूर्तिकार जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है से रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त माल या सेवाएं या दोनों की अंतरराज्यिक पूर्ति को उस पर उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (4) के अधीन उद्ग्रहणीय एकीकृत कर से पूर्ण रूप से छूट प्रदान करती है ।

2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट 31 मार्च, 2018 तक सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को लागू होगी ।

[फा. सं. 349/74/2017-जीएसटी (पीटी)]

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार